

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री मागीरथ राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023 / 251

दायरा तिथि : 18.10.2023

आदेश तिथि : 02-01-2024

प्रार्थी :-

श्री गफार अली पुत्र बरकत अली जाति मुसलमान निवासी बेडा तहसील बाली
जिला पाली राज.

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकॉर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 02-01-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपटित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 76/4 रकबा 0.6000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा तहसील बाली के खसरा नंबर 75 रकबा 9.2700 हैक्टर व खसरा नंबर 76 रकबा 14.6100 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अनिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भूअ.निरीक्षक, बेडा ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2023/1344 दिनांक 31.10.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भूअ. निरीक्षक, बेडा की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह कि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा प्रथम खसरा नंबर 76/4 रकबा 0.6000 हैक्टर भूमि प्रार्थी श्री गफार अली पुत्र बरकत अली जाति मुसलमान निवासी बेडा के नाम से खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वर्तमान में आवेदक आवेदित भूमि में आवागमन के लिए पड़ोसी खसरों एवं गै.मु. नदी से करता है। खातेदार की धारित भूमि में प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।
2. प्रस्तावित रास्ता किसी सड़क अथवा कटान मार्ग से 633 मीटर दूरी पर स्थित है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	75	9.2700 हैक्टर	गै.मु. मगरा	165X9= 1485 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2	76	14.6100 हैक्टर	गै.मु. मगरा	468X9=4212 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

4. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम बेडा प्रथम की डी.एल.सी. दर 263443 रु/- रुपये प्रति हैक्टर है।

5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की

क्षति है। प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुरोध की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।



// 02 //
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2023 / 251
 अनवान गफार अली बनाम सरकार
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 76/4 रकबा 0.6000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2023/1344 दिनांक 31.10.2023 से नया रेकर्ड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (गुप-6) के परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा तहसील बाली के खसरा नंबर 76/4 रकबा 0.6000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा तहसील बाली के खसरा नंबर 75 रकबा 9.2700 हैक्टर व खसरा नंबर 76 रकबा 14.610 हैक्टर में से $1485+4212=5697$ वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रमादित क्षेत्रफल	डीएलसी दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डीएलसी दर 263443/-रूपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
75	9.2700 हैक्टर	$165 \times 09 = 1485$ वर्गमीटर	27	$40095 \times 2 = 80190$	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
76	14.610 हैक्टर	$468 \times 09 = 4212$ वर्गमीटर	27	$113724 \times 2 = 227448$	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
		कुल 5697 वर्गमीटर		कुल राशि 307638	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 307638 /- (अक्षरे तीन लाख सात हजार छः सौ अड़तीस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालन में निजवायी जावे। मिसल फंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



क्रमांक/कोर्ट/2024/100-104
 प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक मू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, बेडा प्रथम
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री गफार अली पुत्र बरकत अली जाति मुसलमान निवासी बेडा तहसील बाली जिला पाली राज. को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
 बाली (निरीक्षण) राज
 उपखण्ड अधिकारी, बाली

दिनांक : 16-01-2024

उपखण्ड अधिकारी
 बाली (निरीक्षण) राज